'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.01.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 4 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जनवरी, 2015

सभी निराश नजर आते हैं

जो भी दलित, आदिवासी एवं मानवतावादी समाज के प्रति संवेदनशीलता रखता है, वही निराश नजर आता है। दुखी मन से पूछता है कि समाज का क्या होगा ? मतलब यह है कि जो संवैधानिक अधिकार मिले थे, उनका खात्मा होता जा रहा है। नई आर्थिक नीति के कारण तमाम क्षेत्रों में अवसर तो पैदा हुए हैं लेकिन उसमें भागीदारी शून्य के बराबर है। 8 दिसंबर, 2014 की विशाल रैली के बाद लोग और भी बेचैन हो गए हैं कि अब सरकार कुछ कर नहीं रही है। वास्तव में दलित-आदिवासी समाज की निर्भरता सरकारी योजनाओं पर बहुत रहती है और उसका कारण है कि सदियों से इन्हें साधन विहीन ही नहीं बल्कि सम्मान से भी वंचित कर दिया गया है। इन निराश और हताश लोगों को क्या जवाब दिया जाए, सिवाय इसके कि एकजुट होकर संघर्ष करें। जब से डॉ0 उदित राज संसद में पहुंचे हैं, जिस भी जगह भारत में गए, लोग विश्वास के साथ मिलते हुए उनसे कहते हैं कि आपके वहां रहने से समाज के अधिकार सुरक्षित हो गए हैं, जवाब में वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अकेले मैं यह सब कर सकूं। किसी बड़ी पार्टी के सांसद की एक सीमा होती है और समाज को इतना अधिक अपेक्षा नहीं करना चाहिए। वे अपने कर्तव्य को निभाने में नहीं चूकते और इस बार संसद सत्र में दलित अधिकार एवं आरक्षण के लिए चार बार आवाज उठायी। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से गत् 8 दिसंबर को रैली आयोजित की जा रही थी तो लोग टांग-खिंचाई में लगे हुए थे कि सत्ता पक्ष का सांसद क्या कभी रैली करता है। यह कृत्य गैरों ने नहीं बल्कि कुछ दलित चमचों ने ही किया था। कुछेक ने तो यहां तक कहा कि उन्हें मंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वे दलितों की बात करते हैं।

जो समाज के बारे में सोचते और समझते हैं, वे यह भी कहते हैं कि और दलित नेता क्यों चुप हैं ? विपक्ष में बैठे दलित नेताओं को तो आवाज उठाना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो डॉ0 उदित राज जी को करना है, वह कर रहे हैं और किसी भी सुझाव को सुनने के लिए तैयार भी हैं। यह बात तो तय है कि दलित समाज इस समय हासिए पर है और आने वाले दिनों में इसकी दशा और खराब होगी। अपनी बर्बादियों के लिए कुछ खुद भी जिम्मेदार हैं। जबसे दलित नेताओं में राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची है, तब से उपजातिवाद बढ़ता ही जा रहा है अर्थात् आपसी बंटवारा। बंटवारा तक ही सीमित होता तो भी बात समझ में आती, यहां तो एकदूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं और ऐसे में शोषकों की जरूरत ही नहीं है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ही एक ऐसा संगठन है, जो केवल विचारों पर आंदोलन खड़ा किया। लोगों को संगठित करने के लिए मुद्दा और उपलब्धि रहा है, न कि उपजातिवाद। डॉ0 उदित राज जी ने जातिवाद एवं उपजातिवाद का हमेशा ही विरोध किया है। देश का कौन सा ऐसा नेता है जो कुछ न कुछ जाति का सहारा लेकर खड़ा हुआ हो। डॉ0 उदित राज का ही ऐसा नेतृत्व है जो उपजातिवाद पैदा करके आंदोलन नहीं चलाया। किसी भी नेता के बारे में अगर जानना हो कि उसकी करनी व कथनी में अंतर को पहचानना आवश्यक है ? तो सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि उसकी नजदीकियों एवं जिस संगठन का नेतृत्व कर रहा है, उसमें उसकी उपजाति की भरमार है या पूरे समाज का आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। सुश्री मायावती बिना उपजाति के टिक नहीं सकती और यही बात राम विलास पासवान सहित अन्य नेताओं पर लागू होती है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का नेतृत्व डॉ0 उदित राज करते हैं, यही देश का प्रमुख दलित संगठन भी है। देश भर में इसके कार्यकर्त्ताओं एवं नेताओं की सूची कोई भी देख सकता है, तो लगेगा कि डॉ0 उदित राज की उपजाति संख्या के अनुपात में तो क्या उससे भी कहीं कम संगठन में है। इसे ही अम्बेडकरवाद कहते हैं। यही नहीं समाज को जोड़ने का मुख्य सूत्र है। जब तक इस भावना से आंदोलन नहीं चलेगा तब तक हासिए पर ढकेले जाते रहेगें। दलितों की दुर्दशाओं के तमाम कारण हैं, लेकिन आपसी फूट सबसे बड़ा कारण है, जिस पर प्रकाश डाला गया है। शोषण के बाह्य कारण को तो कौन नहीं जानता और वह कम होने वाला है नहीं। जो कारण बाह्य हैं, उन पर तो वश नहीं है, लेकिन जो दलितों व आदिवासियों के स्वयं की वजह से पैदा हो रहे हैं, उसे तो खत्म किया जा सकता है।

+++

फर्ज एवं अधिकार

सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को तमाम अधिकार, सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने की है। जनतंत्र में जागरूकता अधिक होने से आम लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आवश्कता के अनुसार अपेक्षा रखना गलत नहीं है लेकिन उसके अनुपात में फर्ज को भी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्ता प्राप्ति की होड़ में राजनैतिक सक्रियता के माध्यम से नागरिकों में अपेक्षाएं तो पैदा कर दी जाती हैं लेकिन उन्हें क्या-क्या जिम्मेदारियां वहन करना चाहिए, यह कम ही बताया जाता है। ऐसे में न तो सरकार और न ही जनप्रतिनिधि निष्पक्षता और दूरगामी सोच के साथ काम कर पाते हैं। नीतियां भी ऐसी बनाई जाती हैं, जो लोकलुभावन ज्यादा हों भले ही उनके दूरगामी परिणाम अच्छे न हों। यह तो अच्छी बात है कि जागरूक नागरिक जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर रखते हैं लेकिन संतुलन वहां बिगड़ जाता है, जब जवाबदेही कम हो जाती है और सुविधाएं व अधिकार की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अच्छे कार्यों से भी संतुष्टि नहीं हो पाती है। सरकार भले ही अच्छा कर रही हो, लेकिन कुछ न कुछ कमी खोजने की आदत बनी रहती है। इस अवधारणा को बदलना पड़ेगा वरना इसकी कीमत अंततः नागरिकों को ही चुकानी पड़ेगी।

जनतंत्र को सफल बनाने में प्रत्येक नागरिक को अपना फर्ज निभाना चाहिए। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। इसकी

डॉ0 उदित राज

शुरुआत ऊपर से हुई अर्थात् प्रधानमंत्री व मंत्रियों के स्तर से। स्वच्छता न होने से न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि निवेश, पर्यटन एवं अन्य क्षेत्रों में भी। अब यह नहीं कहा जा सकता कि अभियान की शुरुआत ऊपर से नहीं हुई, इसलिए नीचे तक उसका असर नहीं पहुंचा। निश्चित तौर से करोड़ों लोग इस अभियान से प्रेरित हुए हैं, परन्तु जो आम नागरिक के हिस्से की जिम्मेदारी है, उसकी शुरुआत होनी बाकी है। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र - उत्तर पश्चिम दिल्ली के वार्ड 52 में सफाई की स्थिति, जब सुबह वहां पहुंचकर, जानने की कोशिश की तो बड़ी निराशा हाथ लगी। मेरे साथ पूर्व विधायक एवं निगम के सदस्य भी थे। साथ में निगम के सफाई से संबंधित अधिकारी भी और जब मैंने उनसे कहा कि वार्ड में कितने सफाई कर्मी हैं, नाम, पता, फोन के साथ प्रस्तुत किया जाए तो जवाब में कहा गया कि उसकी उपलब्धता उस समय संभव नहीं थी। हालांकि बाद में वह सूचना मिल गयी। फिर मैंने सोचा कि इस लोक सभा क्षेत्र में 40 वार्ड हैं और क्यों न इसी तरह की सूचना सभी से जुटा ली जाए। इसके लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा लेकिन आवश्यक सूचना इतनी जल्दी कहां आने वाली थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद अधूरी सूचना आयी। वार्ड 52 में की गयी कार्यवाही से असर अच्छा हुआ और सफाई में सुधार हुआ। वहां के कुछ नागरिकों से अच्छी सराहना भी मिली, परन्तु किसी ने आगे आकर यह नहीं कहा कि वार्ड की सूचना उन्हें भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने स्तर पर जब सफाई का काम शुरू हो तो जाकर देखें कि जितने कर्मचारी सरकारी रोल पर हैं, क्या वास्तव में काम करने आते हैं ? गत् कई दशकों से यह फर्जीवाड़ा चल रहा है कि तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो काम पर आते ही नहीं और वेतन का भुगतान किया जाता रहता है। इससे मैंने महसूस किया कि अकेले सरकारी प्रयास से व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है, जब तक कि उन सुविधाओं एवं अधिकारों को भोगने वाले भी अपना कर्तव्य न निभाएं। क्या वहां के नागरिकों की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अमेरिकी चिंतक पोलाक के खिलाफ खुला मोर्चा

संस्कृत विभाग ने कहा, पोलाक ने संस्कृत को गलत ऐतिहासिक संदर्भों में पेश किया

देश में संस्कृति, संस्कृत और धर्म-दर्शन को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। आर्यो की उत्पत्ति के इतिहास पर बेबाक राय रखने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का विरोध करने वाले अमेरिकी विद्वान शेल्डन पोलाक के खिलाफ मोर्चा खोला है। संस्कृत विभाग ने पोलाक के सिद्धांतों को खारिज करने वाले इनफिनिटी फाउंडेशन के निदेशक राजीव मल्होत्रा को 'संस्कृत अध्ययन में उभरता अमेरिकी ओरियंटलवाद' विषय पर व्याख्यान देने के लिए न्यूजर्सी से बुलाया है। व्याख्यान भारतीय इतिहास अनुसंधान शोध परिषद के अध्यक्ष और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की मौजूदगी में 29 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस सेंटर में होगा। राजीव मल्होत्रा अमेरिका में शेल्डन पोलाक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। शेल्डन मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जनरल एडीटर हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय धर्म ग्रंथ सहित कई साहित्य का अनुवाद होना है। विद्वानों का मानना है कि शेल्डन का मत भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के विरोध में रहा है, ऐसे में यह कार्य भी उनकी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है।

पोलाक ने संस्कृत को गलत पेश किया

संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. रमेश भारद्वाज का कहना है कि पोलाक ने संस्कृत को गलत ऐतिहासिक संदर्भो में पेश किया है। वह संस्कृत को ब्राह्माणवाद बनाम सामान्य वर्ग की लड़ाई के रूप में दिखाते हैं। संस्कृत को जाति विशेष और शासक वर्ग के खिलाफ जोड़ते हैं, जबकि संस्कृत भारतीय भाषाओं का आधार है। पोलाक संस्कृत को मृत भाषा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर काल में संस्कृत का अस्तित्व रहा है। अमेरिका में नव ओरियंटलवाद का उभार हो रहा है, जो भारतीय संस्कृति की संजीवनी को नष्ट करने पर लगा है। संस्कृत विभाग वेद, उपनिषद और अन्य विषयों पर शोध कर रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को व्याख्यान के लिए बुलाएं जो विदेशों में भारतीय संस्कृति के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं।

वेद की ऋचाओं को गड़रिया का गीत कहा था

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक डॉ. रामनाथ झा का कहना है कि संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति को लेकर पोलाक की दृष्टि नकारात्मक रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय अंग्रेजी विद्वानों ने वेद की ऋचाओं को गड़रिया का गीत कहा था। उनका कहना था कि संस्कृत को ग्रीक भाषा से नकल कर यहां के ब्राह्माणों ने विकसित किया। यह वैज्ञानिक शोध पद्धति की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि पाश्चात्य जगत के कई विद्वान भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं।

– दैनिक जागरण
(7/1/15) से साभार

निगम के अंशकालिक स्वच्छकर्मी को अब मिलेगा दैनिक वेतन

नई दिल्ली, 19 दिसंबर, 2014 : कल दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों ने मेयर श्रीमती मीनाक्षी के साथ मिलकर उनकी नौकरी को स्थायी करने में अथक प्रयास के लिए सांसद डॉ. उदित राज के आवास पर उनका धन्यवाद् किया।

ज्ञात हो कि दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षो से 329 स्वच्छताकर्मी पार्ट टाईम मजदूरी पर कार्यरत हैं। दिल्ली में इनका वेतन 1600 रूपए प्रतिमाह है। इन कर्मचारियों ने निगम मजदूर सर्व कल्याण मोर्चा के पदाधिकारियों से संपर्क कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद मोर्चा प्रमुख वीर अशोक अंजाना सक्रिय भूमिका निभाते हुए दलितों के राष्ट्रीय नेता लोक सभा सांसद माननीय डॉ. उदित राज से मिले और सफाईकर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु लिखित पत्र द्वारा आग्रह किया कि निगम स्वच्छताकर्मियों के साथ अन्याय कर उनके भविष्य से खुले आम खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें भी अन्य की तरह एरियर समेत पक्का किया जाना चाहिए।

इसके बाद सांसद उदित राज ने गहरी अफसोस जाहिर करते हुए कर्मियों के प्रति निगम के उदासीन रवैये को लेकर कड़ी आलोचना की और तीनों महापौर एवं निगम आयुक्तों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि कर्मचारियों की जायज मांग पर ध्यान देकर जल्द से जल्द समस्या का निपटारा करें। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श के बाद उत्तरी दिल्ली अध्यक्ष स्थायी समिति के चेरमैन मोहन भारद्वाज ने बीच का रास्ता निकालते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर इन्हें पक्का करने में अड़चन है तो इन सभी को 01.01.2015 से दैनिक वेतन पद पर रख लिया जाये। काफी जद्दोजहद के बाद मोर्चा ने स्वीकार किया कि निगम नियमों के मुताबिक पहले इन्हें दैनिक वेतन दिया जाये।

इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों ने खुशी का इजहार और सांसद डॉ. उदित राज का धन्यवाद करने के लिए कल उनके आवास पर पहुंचे। इस मौके पर श्री धर्मपाल पवार, मोर्चा अध्यक्ष विक्रम ढ़ीका, रानी सलवान, सुरक्षा बागड़ी, सुमित सारवान, सुभाष बिड़लान, सुनील अंजाना, अमर ढ़ीका, संतोष ढ़ीका, आदि उपस्थित थे। +++

फर्ज एवं अधिकार

(पृष्ठ 1 का शेष)

जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे स्वतः आगे आएं और सफाई कर्मचारियों का पूरा विवरण लेकर हाजिरी की जगह पर देखें कि कितने अनुपस्थित रहते हैं। यह कार्य कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कर्त्तव्य निभाने की बात है। एक आम धारणा बन गयी है कि हर कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है तो ऐसी सोच को भी बदलने की जरूरत है कि आखिर में सरकार क्या और कौन है? मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कहते हैं कि सरकार कार्य करने के लिए प्रयासरत् हैं। अगर खोजा जाए कि सरकार कहां है तो अंत में यही मिलेगा कि सभी नागरिक हैं। जब तक सभी एक नागरिक की जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है। कोई कितने भी बड़े या छोटे पद पर हो वह एक नागरिक भी है और उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ही अपेक्षाएं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सरकारी भवन के मरम्मत की जरूरत लगभग प्रत्येक वर्ष पड़ती है और जब वही निजी इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है तो वह पूरी जिंदगी भर के लिए, क्या यह सोच सार्वजनिक कार्य में नहीं पैदा की जा सकती? यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भविष्य ही दे सकता है।

देश में सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होना माना जाता है। निर्माण के मापदण्ड हैं, उसे सार्वजनिक रूप से दर्शाया भी जाता है ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देख सकें कि जो गुणवत्ता होना चाहिए, है या नहीं। वैसे भी कोई भी सार्वजनिक निर्माण की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, पता लगाना मुश्किल नहीं है। फिर भी कितने नागरिक हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ठेकेदार और अधिकारी की शिकायत करते हैं। शायद बहुत ही कम। यहां पर राष्ट्रीय चरित्र की कमी दिखती है। विकसित देशों में यह संभव नहीं है कि भ्रष्टाचार करके आसानी से बचा जा सके। वहां के नागरिक अपना फर्ज निभाते हैं और सार्वजनिक कार्यों की कमी को उजागर करने के लिए बाहर आते हैं, जैसे यह उनका निजी कार्य हो। इस तरह की मानसिकता हमारे समाज में पैदा करने की जरूरत है। जब नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ ली तो क्या देशवासियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस कार्य को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं और हमारा भी देश विकसित देशों जैसा स्वच्छ हो जाए।

अपनी लोक सभा क्षेत्र में मुझे तमाम ऐसे स्थान मिले जहां सरकारी शौचालय बन गए हैं लेकिन टूटी-फूटी स्थिति में हैं। क्या इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसका रखरखाव करें? सांसद निधि के पैसे को शौचालय निर्माण में लगाने की जब चर्चा किया तो सबसे बड़ी समस्या यह उभरकर आयी कि बनवाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका रखरखाव कौन करेगा? यह बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि प्रत्येक शौचालय को सरकार 24 घंटे निगरानी करे। इस्तेमाल करने वालों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर से अधिकारियों एवं नेताओं के स्तर पर गड़बड़ियां होती हैं और हैं भी लेकिन जनता अपने कर्तव्य को निभाने से भी चूकती रही है। तमाम ऐसे कार्य हैं जो सरकार के हिस्से में नहीं आते फिर भी मानसिकता बन गयी है कि नेता यह नहीं करते, वह नहीं करते। जनप्रतिनिधि भी जनता को उनका फर्ज याद दिलाने में बचते हैं कि कहीं वे नाराज न हो जायें, सभी मांगें पूरी करने की बात स्वीकार कर लेते हैं और न पूरी होने की स्थिति में तमाम कारणों और विपक्ष को जिम्मेदार मान लिया जाता है। यक्ष प्रश्न यह है कि अधिकार पाने की अपेक्षा के साथ-साथ क्या कर्त्तव्य का निर्वहन की संवेदना है? +++

दिल्ली होम गार्ड वॉलिंटियर्स की नौकरी को एक साल के लिए विस्तार किया उपराज्यपाल नजीब जंग ने

नई दिल्ली, 03 दिसंबर, 2014 : डॉ. उदित राज ने दिल्ली होम गार्ड्स वॉलिंटियर्स की नौकरी को एक साल के लिए विस्तार करने पर उपराज्यपाल नजीब जंग का आभार व्यक्त किया है। यदि ऐसे 6500 लोगों को अकेले छोड़ दिया जाता तो वे सभी बेरोजगार हो जाते। छह साल पहले ये वॉलिंटियर के रूप में भर्ती हुए थे और उनका कार्यकाल इस साल मार्च के महीने में समाप्त हो गया। ये वॉलिंटियर्स शहर की सुरक्षा में छः सालों से दिन-रात कार्यरत थे। होम गार्ड का एक समूह अपनी समस्याओं को लेकर डॉ. उदित राज से मिला था और इस मामले को लेकर उदित राज हमेशा से बचाव करते रहे हैं। डॉ. राज का कहना था कि दिल्ली होमगार्ड्स की भर्ती एवं उसके प्रशिक्षण पर प्रत्येक बार बहुत सारा पैसा खर्च होता रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी नए सिरे से भर्ती होती है तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता है। डॉ. उदित राज की मदद से ये होमगार्ड्स खासकर श्री संजय कुमार, श्री कृष्ण कुमार (9250107415) व श्री कर्मवीर (9136395745) ने इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि ये सभी होमगार्ड्स दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान निश्चित रूप से अपने आप को साबित करेंगे। +++

क्रांतिज्योति सावित्रीमाता फुले

3 जनवरी, 1831 - 10 मार्च 1897

न्या.सुरेश ए. घोरपडे (पूर्व न्यायाधीश)

भारत की नागवंशी मूलनिवासी सिंधु संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज से आठ से लेकर दस हजार साल पहले भारत में मातृसत्तात्मक परिवार पद्धति थी। उस समय महिला ही घर की प्रमुख थी। उस समय महिलाओं ने खेती की खोज की, महिलायें खेती और वैद्यकीय मामलों में होशियार थीं। लेकिन चार हजार साल पहले आर्यों ने इराक–इरान से आकर भारत पर हमला किया और उन्होंने भारत की मातृसत्तात्मक परिवार पद्धति बदलकर पुरुषसत्तात्मक परिवार पद्धति शुरु की। उन्होंने वेद और मनुस्मृति में कानून बनाकर महिलाओं की आज़ादी छीन ली। महिला तथा ओबीसी, एससी, एस टी, लोगों को गुलाम बनाया। उनके सब अधिकार छीन लिए। उन्हें शिक्षा से वंचित किया। उन पर सिंधुबंदी, ज्ञानबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, व्यवसायबंदी, शस्त्रबंदी लगा दी गयी।

जन्म और बचपन :-

महाराष्ट्र में सतारा जिले के नायगांव में नेवसे पाटील के घर में 3 जनवरी, 1831 को हुआ। उनकी शादी महान समाज सुधारक ज्योतिबा से बचपन में हुई। वे ओबीसी सैनी समाज (माली समाज) से थे । उस समय महाराष्ट्र पेशवाओं का राज 1 जनवरी 1818 में खत्म हुआ था, लेकिन महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। उनका शोषण हो रहा था। पंडितो की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय अंग्रेजो का राज आ गया। अंग्रेजों ने पुणे में कुछ पाठशालायें 1822 में शुरु की थी। लेकिन उनमें पुराणमतवादी लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फुले पुणे में रहते थे। उनको लगा की महिलाओं के लिये पाठशालायें खोलनी चाहिये और ज्ञान देना चाहिए। लेकिन पुणे के पंडित लोग लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ थे। ज्योतिबा फुले जी ने खुद शिक्षा लेनी शुरु की थी। लेकिन उनके उच्च जातीय नौकर ने उनके पिताजी को बताया की ज्योतिबा को पढ़ाओ मत इसलिये उनके पिताजी गोविंदराव ने ज्योतिबा का शिक्षण बंद किया। बाद में उस समय के सामाजिक कार्यकर्ता गफार बेग मुनशी जी ने उनके पिताजी को बताया की, लड़का होशियार है उसको पढ़ने दो। ज्योतिबा बहुत होशियार थे। एक बार वे अपने मित्र पंडित मित्र परांजपे की शादी में गये तो, पंडितो ने उनको बारात से निकाल दिया। उस समय ज्योतिबा को बड़ा सदमा लगा। उन्होंने वेद, महाभारत, इतिहास पढ़ा। तब उनकी समझ में आया की वर्णभेद तथा जातिभेद धर्मशास्त्रों में लिखा है। इसलिये उन्होंने सामाजिक व धार्मिक विषमता तथा पाखंड के विरोध में आंदोलन शुरु किया इसलिये उन्हे महाराष्ट्र का मार्टीन ल्यूथर कहा जाता है।

ज्योतिबा ने उस समय सभी समाज की लड़कियों के लिये 1848 में पहली पाठशाला पुणे के भिडेवाडा मे शुरु की। तथा 1851 में अनुसूचित जाति के लिये पहली पाठशाला हजारों साल के बाद शुरु की। इससे उस समय के वर्णभेदी लोग गुस्सा हो गये और उन्होंने उनके पिताजी को बताया कि ज्योतिबा को अपना ज्ञान देने का काम बंद करने को कह दो। उनके पिताजी ने ज्योतिबा को बताया कि पढ़ना–लिखना अपना काम नहीं इसलिये एक तो पढ़ाना बंद कर दो या घर छोड़ दो। तो ज्योतिबा ने घर छोड़ देना पसंद किया। उस समय गफार बेग मुनशी ने उनका बहुत साथ दिया।

सावित्रीमाता भारत की पहली शिक्षिका:-

घर छोड़ने के बाद में सावित्रीमाता ने ज्योतिबा का साथ दिया। उस समय महिला शिक्षिका नहीं थी। ज्योतिबा ने सावित्रीमाता को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्हें अहमदनगर जिले में स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में शिक्षिका प्रशिक्षण के लिये उस्ताद लहूजी सालवे के साथ भेज दिया। सावित्रीमाता ने लड़कियो को जब पढ़ाना शुरु किया तब उस समय के वर्णभेदी उच्चवर्णीय लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी। उन पर गोबर फेंका जाता था। उन्हें पत्थर मारे जाते थे। उस समय सावित्रीमाता कहती थी कि ये पत्थर नहीं मेरे ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। उस समय फातिमा शेख ये उनकी विद्यार्थीनी पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी उस समय सावित्रीमाता की अनुसुचित जाति की विद्यार्थीनी मुक्ता सालवे ने 1855 में निबंध लिखा था कि हमारा धर्म कौन सा है? और इस निबंध को लंदन में भेजा गया था। उनकी पाठशाला में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी । सावित्रीमाता अच्छी कवयित्री थी। उन्होंने काव्यफुले नामक कविता संग्रह लिखा है। उन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़े थे। उस समय ज्योतिबा फुले जी ने पुणे में बहुत सारी पाठशालायें शुरु की थी। 1852 मे अंग्रेज सरकार ने मेजर कंडी के अध्यक्षता में ज्योतिबा फुले और सावित्रीमाता फुले का सम्मान किया था।

सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन :-

उस समय ओबीसी तथा एससी पर पेशवाओं के राज में बहुत अत्याचार होते थे। उन्हें पीने के लिये पानी भी नहीं दिया जाता था। इसलिये ज्योतिबाजी फुले ने अपने घर के सामने जो कुवां था वो सबके लिये खुला कर दिया। ये बड़ी सामाजिक क्रांति थी इसलिये उन्हें सामाजिक क्रांति का पितामह कहा जाता है। उस समय पुणे में प्लेग की महामारी फैली हुयी थी। उसमें ज्योतिबा फुले तथा सावित्रीमाता ने बहुत लोगों की जान बचायी।

महिलाओं के लिये कार्य:-

उस समय बचपन में शादियां होती थी और बहुत बड़े उम्र के आदमी से शादी कर दी जाती थी और उसकी अकाल मौत में लडकियां विधवा होती थी। उस समय उच्चवर्णीय विधवा महिलाओं के घर में उन पर शारीरिक अत्याचार किये जाते थे इसलिये ऐसी अवस्था में उनको होने वाले बच्चे की वजह से कभी–कभी आत्महत्या करनी पड़ती थी या तो वह बच्चों को जन्म देकर कहीं भी छोड़ देते थे। तब ज्योतिबाजी फुले तथा सावित्रीमाता फुले इस फुले दाम्पत्य ने 1860 में बालहत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था। उस समय उच्चवर्णीय काशीबाई नामक महिला जो विधवा थी लेकिन उसे बच्चा होने वाला था, इसलिये वह आत्महत्या करने जा रही थी उसे ज्योतिबाजी ने बचाया उसके बच्चे यशवंत को गोद लेकर डॉक्टर बनाया। उसकी शादी सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता के लड़के से की। उस समय उच्चवर्णीय विधवा महिलाओं के बाल काटे जाते थे। उनको विद्रुप बनाया जाता था इसके विरोध मे ज्योतिबा फुले जी ने नाई समाज की बैठक बुलाकर उन्हें समझाया उनके बाल मत काटो। तब नाई समाज ने बाल काटना बंद कर दिया और ये समाचार लंदन के समाचारपत्रों में आया था और वहां की महिलाओं ने इस बात के लिये अभिनंदन किया था।

सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 :-

भगवान बुद्ध ने भारत में सत्य की खोज की और सभी को आज़ादी दी। इसी प्रकार फुले जी ने सत्यशोधन के लिये संगठन स्थापित किया। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर उन्हें गुरु मानते थे। उन्होने हंटर कमीशन के सामने सभी के लिये शिक्षा की मांग की। 1890 में ज्योतिबा फुले जी का निधन हुआ उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जी का कार्य में बहुत साथ दिया। 1893 में वे सत्यशोधक समाज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्रीमाता ने की थी। अनुसूचित जाति के लड़के गायकवाड़ को सावित्रीमाता ने प्लेग की बिमारी से बचाने की कोशिश की थी और इसी बीमारी से सावित्री माता का निधन 10 मार्च 1897 में हुआ था। उन्हीं की वजह से सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला और उनकी वजह से भारत की महिलायें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसद सदस्य, विधायिका, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक बनी है। उनके त्याग और कार्य को हमें याद करना चाहिये।

+++

दिल्ली प्रदेश परिसंघ की कार्यकारिणी पुनर्गठित

10 जनवरी, 2015 को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 उदित राज की उपस्थिति में टी–22, अतुल ग्रोव रोड पर दिल्ली प्रदेश परिसंघ को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ। डॉ0 उदित राज जी ने श्री जगतपाल सिंह टांक (मो. 9811197455) को परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची निम्नवत हैं :–

क्रमं.	नाम व विभाग	पद	मो.
1	डॉ0 नाहर सिंह (SCERT)	अध्यक्ष	9312255381
2	धारा सिंह (Education)	उपाध्यक्ष	9810682985
3	कर्म सिंह कर्मा (Social Activist)	उपाध्यक्ष	9811207260
4	रविन्द्र सिंह (BIS)	महासचिव	7503051128
5	डॉ0 धनंजय कुमार (GTB Hospital)	महासचिव	8010720771
6	डॉ0 अंजू काजल (India 4 Help)	महासचिव	9891307796
7	डॉ0 बसंत कुमार (Education)	सचिव	9910054867
8	हरीश मीना (NCERT)	सचिव	9212439214
9	सत्य प्रकाश (DTC)	सचिव	9013300392
10	डॉ0 आर.सी. मथुरिया (IARI)	सचिव	9868201943
11	सत्य नारायण (PFC HQ)	सचिव	9873988894
12	बेगराम (Education)	संगठन सचिव	9717481785
13	दिलबाग सिंह (ITI, AKS Delhi)	संगठन सचिव	9868885623
14	एस. पेरियास्वामी (BIS)	संगठन सचिव	9654769566
15	हरी प्रकाश (Inst. of Edu.Training)	संगठन सचिव	9810760454
16	दया राम (Air India)	संगठन सचिव	9650663322
17	आर.एस. हंस (Social Activist)	कार्यालय सचिव	9811800137
18	बलबीर सिंह (NGO)	कार्यालय सचिव	9999051041
19	भानु पुनिया (ITI Jahangirpuri)	कार्यालय सचिव	9013332151

आरक्षण- एक ऐतिहासिक एवं संवैधानिक विवेचना

अर्जुन श्री

डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय, ने 8 दिसम्बर, 2014 को रामलीला मैदान, दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन करके दलितों के बहुत से मुद्दो को उठाने के साथ-साथ वर्ष 2012 में खत्म कर दिए गए, ''प्रोन्नति में आरक्षण'' का मुद्दा भी उठाया। यहां पर ध्यान रहे कि आरक्षण से सम्बन्धित 81वां, 82वां, और 85वां संविधान संशोधन डॉ0 उदित राज के आन्दोलन और संघर्ष के परिणाम स्वरुप हो सका था।

प्रोन्नति में आरक्षण की वैधानिकता को लेकर बराबर कोर्ट में मुकदमे डाले जाते रहे हैं और कोर्ट के निर्णय भी आते रहे हैं। ऐसा ही एक निर्णय 27 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट का आया जिसने प्रोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया।

इस मामले पर संवैधानिक चर्चा करने से पूर्व आओ थोड़ी अतीत की चर्चा कर लेते हैं। बहुत से समकालीन मामले की जड़े इतिहास में दूर तक चली गई हैं और इसलिए आज जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ को समझने के लिए अतीत में देखना आवश्यक है।

कहने को तो बहुत कुछ हैं लेकिन संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि हजारों वर्षो से उच्च हिन्दु सवर्ण जातियां समस्त विषेशाधिकारों का उपभोग करती रही हैं और अपने आप को योग्य, पवित्र, सर्वश्रेष्ठ समझती एवम् घोषित करती रही हैं। जबकि दलितों के बारे में इनका आचार-व्यवहार घोर नकारात्मक रहा अर्थात दलितों को न सिर्फ सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया बल्कि उनको अयोग्य, अपात्र, अशुभ, अपवित्र, और हर प्रकार से घृणा, शोषण और उत्पीड़न का पात्र समझा गया।

भारत में अंग्रेजों की वजह से दलितों को हिन्दू समाजिक व्यवस्था की जानवरों वाली स्थिति से उबरने का थोड़ा-बहुत मौका मिला। ईसाई मिशनरियों ने दलितों के लिए अपने धर्म और स्कूल-कॉलेजों के दरवाजे खोल दिए।

इसी दौर में दलित आन्दोलन ने भी गति पकड़ी जिसका नेतृत्व ई0वी0 रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले और दलितों के मसीहा बाबा साहब बी0 आर0 अम्बेडकर ने किया।

बाबा साहब ने दलितों के अधिकारों की बराबर लड़ाई लड़ी जिसमें उन्हे सफलता भी मिली। इस क्रम में बाबा साहब ने, 12 नवम्बर 1930 से 18 जनवरी 1931 तक पहली, तथा दूसरी 7 सितम्बर 1931 से 9 दिसम्बर 1931 तक लन्दन में चलने वाली गोल मेज काफ्रेन्स में हिस्सा लिया और अपनी चार मांगे रखी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को 'कम्युलन अवार्ड' की घोषणा की जिसमें बाबा साहब की चारों मांगों को मान लिया गया। जो इस तरह से थीं-

1. दलितों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र।
2. दलितों के लिए पूर्ण आजादी।
3. दलितों के लिए पृथक रुप से जोत की जमीन का आवंटन।
4. दलितों के लिए दोहरे मतदान की व्यवस्था।

'कम्युनल अवार्ड' द्वारा दलितों को दिए गए अधिकारों का गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया और 'यरवदा जेल' में आमरण अनशन पर 20 सितम्बर 1932 को बैठ गए। जिसके परिणाम स्वरुप पूरे देश से 'बाबा साहब' पर दबाव पड़ा कि 'कम्युनल अवार्ड' समझौते को रद्द करवाए। अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हार मान कर बाबा साहब को 'कम्युनल अवार्ड' समझौते से पीछे हटना पड़ा।

इस तरह से गांधी ने दलितों के लिए अर्जित अधिकारों पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर बाबा साहब के प्रयासों से गांधी और बाबा साहब के बीच एक समझौता 24 सितम्बर 1932 को पूना में हुआ जिसे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की कोख से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः विधायिका और कार्यपालिका में 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत आरक्षण रुपी व्यवस्था का जन्म हुआ।

जब कि न्याय मूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर ने एन.एम. थामस मामले में आरक्षण पर कुछ इस तरह से कहा था ''हरिजन कल्याण के नाम पर प्रशासनिक क्षमता अथवा कुशलता को पीछे छोड़कर सरकारी तंत्र को पंगु नहीं बनाया जा सकता। शासन का कार्य सफलता पूर्वक प्रशासन चलाना है, न कि हरिजनों को नौकरी देना.....'' (237 आरक्षण का दंश)

संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है या पदो के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। (D.D. बसु 93)

संविधान में भारत के निवासियों में पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए कुछ रक्षोपाय किए गए हैं। यह उपबंध समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उस आश्वासन को पूरा करता है जो संविधान की उद्देशिका में है। इन पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े अनुभाग को संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है क्योंकि इनका पिछड़ापन स्पष्ट है। (डी.डी.बसु)

बात को यहां और स्पष्ट कर दें। संविधान के अनुच्छेद 340 और 341 की अनुसूची में उन्ही दलित और अदिवासी जातियों को सूची बद्ध किया गया था जो समाजिक आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का शिकार थीं और हैं।

आओ अब सीधे प्रोन्नति में आरक्षण की बात करतें है।

वर्ष 1995 में सविधान का 77वां संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था।

संविधान के 77 वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नई धारा (4.।) जोड़ दी गई। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार अपने अधीन किसी पद पर पदोन्नति देने के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किसी प्रकार का विशेष प्रावधान करना चाहें तो उसे रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते सरकार के अधीन सेवाओं में उपयुक्त जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो।

आओ लगे हाथों दलितों के प्रतिनिधित्व पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत सरकार में 149 सचिव हैं जिनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। 108 अतिरिक्त सचिवों में मात्र 2 अनु0 जाति के हैं। 477 कनिष्ठ सचिवों में मात्र 31 अनु0 जाति के है। इसी तरह 590 निदेशकों में से 17 अनु0 जाति के हैं। कुल भारतीय आबादी के साढ़े तीन प्रतिशत ब्राह्मण हैं, जबकि कैबिनेट मन्त्रियों के सेक्रेटरी 70 प्रतिशत केन्द्र में सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा समकक्ष पदों पर 62 प्रतिशत राज्यों के मुख्य सचिव 54 प्रतिशत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 56 प्रतिशत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 50 प्रतिशत, राजदूत आदि 41 प्रतिशत, विश्वविद्यालय के कुलपति 51 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार के अन्य उच्चाधिकारी 81 प्रतिशत, आई.ए. एस. अधिकारी 61 प्रतिशत उच्च जातियों के है। यह योग्यता है या बेईमानी।

अनु0 335 में कहा गया है कि संघ या राज्य के क्रिया कलापों से संबधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। संविधान के इस अनुच्छेद को दलितों पर बतौर हमले के रुप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

वर्ष 2000 में डॉ0 उदित राज के प्रयासों से संविधान में 82वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरुप अनुच्छेद 335 में एक नया प्रावधान किया गया जिसके अनुसार यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संघ और राज्यों की सेवाओं में आरक्षित स्थानों में किन्ही रिक्तताओं को पदोन्नति द्वारा भरते समय मूल्याकंन के मानक और न्यूनतम अंको में कमी की जा सकती है।

वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया। वीरपाल सिंह बनाम भारत संघ मुकदमें में अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण पाने वाले लोगो को इसका लाभ केवल एक कैडर से दूसरे कैडर में जाने के लिए ही मिलेगा किन्तु उसे प्रोन्नति की परिणामी वरिष्ठता का लाभ नहीं मिले

85वां संवैधानिक संशोधन डॉ0 उदित राज के प्रयासों के द्वारा हुआ यह सुनिश्चित करने के लिए कि दलितों को प्रोन्नति की परिणामी वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में पहले से जोड़ी गई धारा (4. 1) में पुनः संशोधन करके उसमें किसी वर्ग पर परिणामी वरिष्ठता सहित 'पदोन्नति के मामलों' में शब्द जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति पाये लोगो को वरिष्ठता के आधार पर लगातार प्रोन्नति मिलती रहे। लेकिन 27 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से प्रोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया उससे जरूरत पैदा होती है एक बड़े सघर्ष की एक बड़े आन्दोलन की जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जो संवैधानिक अधिकार दलितों को संविधान में दिए गए है। उन पर ब्राहमणिक हिन्दु समाजिक व्यवस्था के पोशक तत्वों द्वारा न्यायलय का सहारा लेकर हमला न किया जा सकें। यह तभी संभव है जब एक आरक्षण कानून बने, प्रोन्नति में आरक्षण बिल संसद में पास होकर संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाय । बहुत सी शंकाओं आशंकाओं के बावजूद यहां पर एक अच्छी खबर यह है कि डॉ0 उदित राज इस दिशा में प्रयासरत् हैं, बस जरूरत है दलित समाज को उनके साथ खड़े होने की।

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

कोरी, कोली, बुनकर समाज एकीकरण सम्मलेन सम्पन्न

04, जनवरी , 2015 को कोरी, कोली, बुनकर समाज एकीकरण सम्मलेन का आयोजन एस–ब्लॉक, बारात घर, मंगोल पुरी, नई दिल्ली, के प्रांगढ़ में संयोजक – इंजी आर. के. वर्मा के नेतृत्व में सफलता पूर्वक भव्य आयोजन किया गया !

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि – माननीय उदित राज (सांसद , उ. प. दिल्ली) एवं चेयरमैन – अ. जा. / अ. ज.जा. संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ थे। अध्यक्षता – श्री हरिशंकर माहौर (पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश) राष्ट्रीय महासचिव , अखिल भारतीय कोरी/ कोली समाज, दिल्ली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भा. ज. पा. अनुसूचित जाति मोर्चा ने की।

विशिष्ट अतिथि – श्री वीरेन्द्र कश्यप (संसद शिमला, हिमाचल प्रदेश) एवं श्री के. के. राज (पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश), श्री जयेंद्र डबास (जिला अध्यक्ष , भा. ज. पा., बाहरी दिल्ली) थे।

श्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद जालौन , उत्तर प्रदेश अचानक संसदीय क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना हो जाने के करा वापिस दिल्ली से जालौन लौटना पड़ा !

समाज के वरिष्ठ , प्रतिष्ठित , सम्मानीय नागरिक मंच पर विराजमान थे ! इंजी आर. के. वर्मा – संयोजक / संरक्षक, बुन्देलखंड , कोरी जन कल्याण समिति , मंगोल पुरी , नई दिल्ली के साथ कोरी समाज के पूरे देश से आये पदाधिकारी उपस्थित थे।

सम्मलेन की शुरुआत सर्व प्रथम वीरांगना झलकारी बाई, संत कबीर साहेब, भगवान गौतम बुद्ध, भीम राव आम्बेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पण तथा दीप प्रज्वलित संयोजक – इंजी आर के. वर्मा तथा सह संयोजक – श्री प्रदीप कुमार वर्मा , एडवोकेट के द्वारा की गयी।

इसके बाद संयोजक इंजी आर. के. वर्मा तथा समिति की कार्येकारिणी द्वारा फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद एक मांग – पत्र माननीय डॉ उदित राज जी सांसद उत्तर पश्चिम दिल्ली को सौंपा गया तथा सभी उपस्थिति समाज बंधुओं (1000 –1200 की संख्या में उपस्थित) को इंजी आर. के. वर्मा ने मांग – पत्र को पढ़कर सुनाया जो निम्नवत है :–

इंजी. आर. के. वर्मा

1. कोली के साथ कोरी समानार्थी उपजाति की सूची में शामिल करना।

2. वीरांगना झलकारी बाई (कोरी) को भारत रत्न की उपाधि देने को सुनिश्चित किया जाये।

3. ज्ञात हो की 'वीरांगना झलकारी बाई' हमारे देश की स्वतन्त्रता संग्राम प्रथम (सन 1857) में झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते – लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गयी थी जो की भारत के लिए अनुकर्णीय है। अतः आपसे अनुरोध है कि वीरांगना झलकारी बाई की समृति में निम्नलिखित स्थानों के नामकरण किये जाये –

(क) सामुदायिक भवन (बारातघर) एस ब्लॉक, मंगोल पुरी, नई दिल्ली का नामकरण ''वीरांगना झलकारी बाई सामुदायिक भवन मंगोल पुरी, दिल्ली–110083 किया जाए।

(ख) एस ब्लॉक बस स्टैंड से बी ब्लॉक मंगोल पुरी, नई दिल्ली (बाहरी रोड) का नाम 'वीरांगना झलकारी बाई मार्ग' किया जाए।

(ग) नगर निगम प्राथमिक विद्यालय एस – ब्लॉक, मंगोल पुरी, नई दिल्ली का नामकरण वीरांगना झलकारी बाई नगर निगम प्राथमिक विद्यालय किया जाये।

(घ) एस– ब्लॉक, मंगोल पुरी, नई दिल्ली बस स्टैंड का नामकरण 'वीरांगना झलकारी बाई बस स्टेंड' किया जाए।

(4) हमारी बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा में भा. ज. पा. से कोली समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

मुख्य अतिथि माननीय डॉ0 उदित राज (सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली) ने अपने सम्बोधन में कोरी/ कोली समाज को एक जुट बहुसंख्यक उपस्थिति को देखते हुए कहा कि जिस प्रकार आपका समाज एक जुट होकर खड़ा है इसी प्रकार आप सभी लोगों को समस्त अनुसूचित जाति / जनजाति के संगठनो के साथ कंधे से कन्धा मिला कर चलना होगा तभी हम दलितों की भागीदारी सफल हो सकेगी। अगर सभी दलित समाज जातिगत में अलग–अलग रहते रहे तो कमज़ोर रहेंगे। अगर सभी समूह एक ही साथ होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित हमें सामाजिक, राजनैतिक सफलता मिलेगी। सभी उपस्थित समूह ने जोरदार तालियों के साथ डॉ0 उदित राज की बातों को ध्यान पूर्वक सुना तथा सहमति व्यक्त की। इंजी आर. के. वर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज की जरुरत देश में दलित विचारक डॉ0 उदित राज जी की है जो समाज को दलित मसीहा डॉ0 आम्बेडकर ने अधिकार दिए उनको लागू करवाने के लिए दूसरे दलित मसीहा डॉ0 उदित राज जी ही हैं , जो हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। जिसे सभी समाज बंधुओं ने हर्ष के साथ स्वीकृति प्रदान की तथा डॉ0 उदित राज के हाथ मजबूत करने का संकल्प इंजी आर. के वर्मा जी की अगुवाई में लिया गया तथा डॉ0 उदित राज जी ने मंच से ही घोषणा की :–

(क) सामुदायिक भवन (बारातघर) एस ब्लॉक, बारात घर, मंगोल पुरी, नई दिल्ली का नामांकरण 'वीरांगना झलकारी बाई सामुदायिक भवन' मंगोल पुरी, दिल्ली–83

तथा

(ख) एस ब्लॉक बस स्टैंड से बी ब्लॉक मंगोल पुरी, नई दिल्ली (बाहरी रोड) का नाम 'वीरांगना एस ब्लॉक बस स्टैंड से बी ब्लॉक मंगोल पुर , नई दिल्ली (बाहरी रोड) का नाम 'वीरांगना झलकारी बाई मार्ग' रखने के लिए सोमवार 5 जनवरी 2015 को ही दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर भिजवा दिया जायेगा। खचा खच भरे ग्राउंड की अध्यक्षता कर रहे श्री हरी शंकर माहौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भा. ज. पा. अनुसूचित जाति मोर्चा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आज समाज जिस प्रकार जागृत होकर यहां विशाल जनसमूह की उपस्थिति दिखा रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब कोरी/कोली समाज अपने अधिकारों से पीछे हटने वाला नहीं है।

वशिष्ट अतिथि माननीय श्री वीरेन्द्र कश्यप जी, सांसद, शिमला ने अपने सम्बोधन में समाज की संख्या की जानकारी हांसिल की तथा कोली समाज की विधान सभा में योग्य प्रतिनिधियों को उचित भागेदारी की वकालत की तथा सभी को शिक्षित होने की नसीहत दी और कार्यक्रम की सफलता की सराहना की।

विशिष्ट अतिथि श्री के. के. राज, भूतपूर्व विधायक उत्तर प्रदेश ने भी समाज को संगठित होने तथा शिक्षा पर बल दिया तथा श्री खेम चंद कोली, श्री मति गीता माहौर , श्री मति चंदा रानी, श्री एन. पी. चौहान (Retd IAS) , डॉ0 ओमप्रकाश कोली, श्री प्रदीप वर्मा (एडवोकेट) इत्यादि ने सम्बोधित किया ।

सभी भारी संख्या में उपस्थित विशाल जनसमूह को पहली बार मंगोल पुरी, दिल्ली में देख कर दूसरे समाजों को कोली समाज की अहमियत का अहसास हुआ तथा सभी उपस्थित समाज बंधु गौरान्वित हुए कि हमारा समाज किसी से कम नहीं है जोकि यह सराहनीए कार्य संयोजक – इंजी. आर. के वर्मा व् कार्यकारिणी की अगुवाई के कारण ही सफल हुआ।

+++

डॉ0 उदित राज व इं. आर.के. वर्मा को माला पहनाकर स्वागत करते
डॉ0 रवि कुमार, आर.बी. वर्मा व कोली समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी

सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह का एक दृश्य

डॉ0 उदित राज द्वारा अजा/जजा मुद्दों पर संसद सत्र के दौरान दिए गए भाषण

संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर, 2014 से 23 दिसंबर, 2014 तक चला। कुल 22 दिन संसद की कार्यवाही चली। इस दौरान डॉ0 उदित राज जी ने 32 सवाल संसद में पूछे और 6 बार विभिन्न मुद्दों पर भाषण दिया। जिनमें से ज्यादातर मुद्दे दलितों एवं गरीबों से संबंधित रहे। उन्होंने स्पेशल कांपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होनें वित्त मंत्री महोदय से आग्रह किया कि अगले बजट में ऐसी कोई व्यवस्था जरूर की जाए जिससे कि दलितों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान अन्य मदों में न खर्च किया जा सके। दलितों एवं गरीबों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 38 साल पहले (1970-1976) में प्लाट एवं कृषि हेतु भूमि आबंटित की गयी थी लेकिन उन्हें अभी तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल सके हैं, यह मुद्दा भी संसद में उन्होंने उठाया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आरक्षण की अवलेलना करने में अग्रणी रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए डॉ0 उदित राज जी ने कहा कि भर्तियों के समय यहां पर आरक्षण के मानकों को नहीं अपनाया जाता। उन्होंने 2003 में 164 भर्तियों का उदाहरण देते हुए बताया कि उसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि ऐसे संस्थानों में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है लेकिन फिर भी उन्हें नियमों को ताख पर रखकर आरक्षण की अहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र अन्य राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों व शिक्षा सहित अन्य कार्यों में मान्य नहीं है। इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों को दिल्ली में आरक्षण से वंचित किया जाता है। फरवारी 2013 में सुप्रीम कोर्ट एवं मई 2013 में दिल्ली सरकार ने भी आर्डर जारी किया था कि दूसरे राज्यों से आने वालें दलितों को जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अवसर दिया जाना चाहिए इसके बावजूद उन्हें मना किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली में एमसीडी में टीचर्स की भती की गयी थी, जिसका परिणाम 5 दिसंबर को आया, जिसमें उन्हें आरक्षण से वंचित रखा गया। उन्होंने शहरी विकास मंत्री से आग्रह किया कि वे दिल्ली के राज्यपाल से कहकर उपरोक्त आर्डर पा पालन करवाते हुए इन्हें अवसर दिलवाएं। उन्होंने एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रश्न किया कि जे.ई.ई. परीक्षा में दलित अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसर क्यों नहीं दिया जाता? यदि नहीं दिया जाता तो इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? हालांकि जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अभी दो से अधिक अवसर दिए जाने का कोई विचार मंत्रालय का नहीं है। एक अतारांकित प्रश्न के मध्यम से उन्होंनें खान मंत्री से पूछा कि नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि. (नाल्को) अजा/जजा के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, इनमें से उच्च पदों पर कितने अधिकारी हैं? इसका जवाब देते हुए खान राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में नालकों में जीएम/कार्यकारी निदेशक/सीएमडी जैसे पदों पर कोई भी अधिकारी एससी/एसटी/ओबीसी से नियुक्त नहीं है।

लोक सभा में आरक्षित कोटे से 131 सांसद चुनकर आते हैं। डॉ0 उदित राज जी ने सरकार में शामिल होने के बावजूद जिन प्रश्नों को उठाया, उन्हें उठाने की ज्यादा जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों के दलित सांसदों की बनती थी। दलित समाज को देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए अन्य 130 सांसदों से सवाल करना चाहिए कि वे आरक्षण की बदौलत जीतकर संसद में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? अगर सभी ने एक-एक भी दलितों से संबंधित मुद्दा सदन में उठाया होता तो कम से कम 130 मुद्दे और होते। डॉ0 उदित राज द्वारा संसद में दिया गया भाषण दार्यी ओर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

+++

During Zero Hours and under Rule 377 on 9th December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, under 20 Point Programme, Dalits were allotted housing plots and agricultural lands. Now 38 years have passed but they have not been given bhoomidhari rights which means that they cannot claim their right. In some of the places what happened is that their plots have been converted into parks and village land. As on date, they are not in a position to develop their land because they are in fear that any time it can be taken back by the Government. So I would like to state that this case is already 38 years old; they are already in possession of and are cultivating the land. The law says that 12 years of continuous possession gives the right of ownership. But till today, they have not been given the right of ownership. Most of these people are Dalits, poor, OBC, and backwards. They live in rural areas of Delhi. They have been fighting for it but yet it has not been sorted out.

So, I urge upon the Government that they should be given bhoomidhari rights. Today, they do not have the title rights though they are using it. This is what, I wanted to say.

During Zero Hours on 16th December, 2014

डॉ. उदित राज (उत्तर पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग दिल्ली में आते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के स्थेट रिजर्वेशन को यहां डिनाई किया जाता है, जबकि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। This was held in the Supreme Court also. In February, 2013, the Attorney-General has also opined that they will be given reservation even if they come and produce a certificate. Subsequently, the Government of NCT has issued the order in May, 2013. Despite this, they are being denied reservation. हाल ही में एमसीडी में टीचर्स की भर्ती की गयी थी। 5 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया हुआ है। They are denied reservation. एजुकेशन डिपार्टमेंट में assistant teachers were also denied reservation.

Madam, through you, I request the Minister for Urban Development or LG that the orders which are already in place should be implemented and the people belonging to SCs and STs, particularly coming from Rajasthan, should be given reservation in State Government.

During Zero Hours on 19th December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam Speaker, the All India Institute of Medical Sciences is known in the country. It is a premier institution. But this premier institution is also known for flouting the norms of reservation policy. It has also flouted the service rules. Various Committees have given recommendations to follow the system of rotation of Heads. Yet, AIIMS has not followed the recommendations of Committees like Javed Chowdhury Committee and Vaidyanathan Committee. Parliamentary Committee also held the same opinion.

In 2003, 164 recruitments were done in AIIMS where the reservation policy was not followed. The High Court interfered, yet AIIMS has not followed rules in respect of giving them seniority and casting the roster system. So, I urge the hon. Minister through you that in the name of autonomy, when Government has limited interference, it is not that they should flout the rules and victimize downtrodden or those who are children of lesser God.

Thank you very much.

During Zero Hours on 22nd December, 2014

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Dy. Speaker Sir, thank you so much for giving me this opportunity to say about the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Component Plan. In every Budget, budgetary allocation is made under the Head, 'Special Component Plan and Tribal Sub-Poan.'

However, the budget amount is already less than what it should be, as per the philosophy of Special Component Plan and Tribal Sub-Plan, but through you, I want to urge upon the hon. Finance Minister that in the next year's Budget, there should be a mechanism so that budget under these heads, which is transferred to the States, should be properly applied. there should be a mechanism to check that.

Thank you so much.

+++

बादली औद्योगिक क्षेत्र के उत्थान के लिए 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 2014 : सांसद डॉ. उदित राज ने आज बादली औद्योगिक क्षेत्र के फेज–1 व फेज–2 (उत्तर पश्चिम दिल्ली) में डीएसआईआईडीसी द्वारा 'सड़कों, नालों व नालियों के सुधार के लिए कार्यों की नींव रखी। यह क्षेत्र इनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिससे यहां पर आने–जाने वाले लाखों लोगों को फायदा हो सके। डॉ. राज अपने निर्वाचन क्षेत्र में कड़ाई से 'स्वच्छ भारत अभियान' पर लगातार काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र की साफ–सफाई की समस्याओं को खत्म करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। डॉ. राज ने इस बारे में कहा कि वह दिल्ली को स्वच्छ, उच्च तकनीकी और कुशल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनते देखना चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचों का विकास महत्वपूर्ण रणनीतियों का हिस्सा है।

कार्यक्रम के दौरान, डॉ. राज ने जोर देते हुए कहा कि इस परियोजना को मार्च, 2015 तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' के बारे में याद दिलाते हुए सूचित किया कि औद्योगिक क्षेत्र को इसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इस काम में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री जय भगवान, श्री ए. के. कौल (अध्यक्ष, बादली औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन), श्री वी. पी. पांडे (पार्षद), श्री शशिकांत (मुख्य अभियंता, डीएसआईआईडीसी) और विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

समारोह को संबोधित करते हुए श्री वी. पी. पांडे ने कहा कि डॉ. उदित राज जी के कारण हम इस सुनहरे दिन को देख पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एसोसिएशन ने क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए डॉ. उदित राज से पहले कई दरवाजों का चक्कर काटा लेकिन उदित राज से मिलने के बाद कहीं और नहीं जाना पड़ा। डॉ. राज की इस क्षेत्र की कार्ययोजना विश्वास से ओतप्रोत थी।

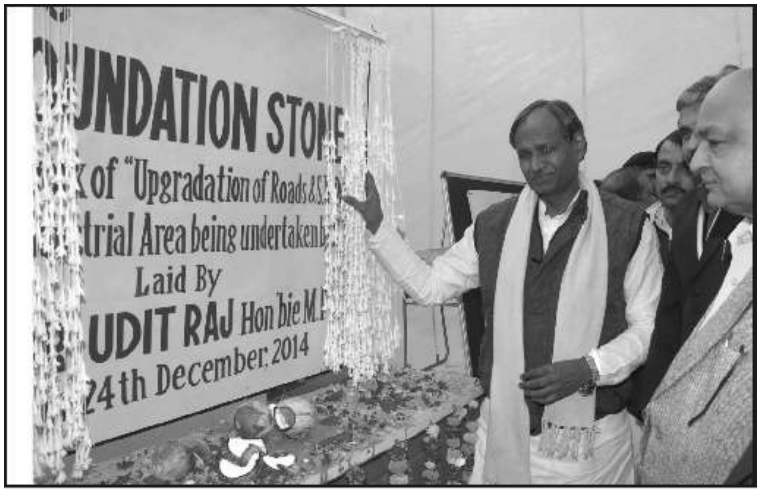

श्री जय भगवान ने डॉ. उदित राज के समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि डॉ. राज मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में भी बहुत ही रूचि रखते हैं और वह देश की मान–सम्मान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

इस परियोजना की लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है जिसमें 4359 मीटर लंबी और 3238 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण होना है। साथ ही 2718 मीटर लंबी नालियों का अपग्रेड, 6093 मीटर लंबी नालियों एवं 29 भूमिगत नालियों की मरम्मत होना है।

+++

उत्तर पश्चिमी दिल्ली को 10 नए स्कूलों का तोहफा

नई दिल्ली, 18 दिसंबर, 2014 : श्री राम शंकर कठेरिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, एवं डॉ0 उदित राज, सांसद, उत्तर–पश्चिम दिल्ली ने अपार जनसमूह की मौजूदगी में आज रोहिणी, दिल्ली में 10 उच्च माध्यमिक स्कूलों की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय (उत्तर–पश्चिम–बी) द्वारा आयोजित किया गया था। 10 स्कूलों का एक साथ शिलान्यास के लिए सांसद डॉ. उदित राज का अथक प्रयास उल्लेखनीय है।

इस ऐतिहासिक मौके पर श्री मजूमदार, प्रधान सचिव (शिक्षा विभाग), श्रीमती पद्मिनी सिंगला, निदेशक, शिक्षा, भाजपा के पूर्व विधायक श्री कुलवंत राणा, श्री गुगन सिंह, श्री जय भगवान अग्रवाल, श्री मास्टर जय भगवान सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे।

क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए डॉ0 उदित राज ने कहा कि ''एक मौके पर 10 स्कूलों का उद्घाटन करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।'' उन्होंने कहा कि

हमारे समाज में बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी सरकार ने काफी कम समय में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे देश का विकास सुनिश्चित है।

उन्होंने आगे कहा कि हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। सभी समाज को विकस की आवश्यकता है और शिक्षा से ही विकास संभव है। इसलिए शिक्षा को विकास की कुंजी कहा गया है। अपने क्षेत्र को बेहतरीन तरीके से विकसित करने के संबंध में डॉ. राज ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही इस क्षेत्र में 10–20 स्कूल और होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने का सपना देखता हूं। इसलिए क्षेत्र हेतु मैंने धनराशि इकट्ठा करने के लिए बाहरी देशों के लोगों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। साथ ही डॉ. राज के तमाम कोशिशों के बाद क्षेत्र के लिए 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' पर काम चल रहा है। श्री राम शंकर कठेरिया ने डॉ. उदित राज के सामाजिक कार्य क्षेत्र में किए गए काम एवं शिक्षा के प्रति है जो समाज के लिए नेताओं की नींव रखता है। ये वहीं संस्थाएं हैं जो समाज को विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे सपूत देंगी।

काम करने की प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि वह इस ऐतिहासिक क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे कि हम सबने मिलकर 10 स्कूलों का एक साथ शिलान्यास किया है। उनके अनुसार, एक स्कूल समाज को विकास की ओर ले जाता है जो समाज के लिए नेताओं की नींव रखता है। ये वहीं संस्थाएं हैं जो समाज को विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे सपूत देंगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर श्रीमती स्मृति ईरानी आने वाली थी लेकिन उन्हें कहीं और जाना पड़ा इसलिए मैं उनकी ओर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। श्री कुलवंत राणा ने इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। +++

(Contd.. on pate 7)

OUR RIGHTS AND .....

Anybody, howsoever big or small, is first a citizen and one should expect one's rights by observing one's duties first.

Construction of roads in the country is deemed to be the biggest channel of corruption. There are certain parameters to be observed for building of roads which are made public so that every citizen may perform his duties to see if the qualities are being maintained. Even otherwise it is not difficult to know what the standard criteria are there for constructing a road. Even then how many citizens are there who complain against the contractor and the officer of any deficiency in service? Perhaps, negligible. There seems to be some flaw in our national character. Corrupt cannot

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:

Five years : Rs. 600/-

One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 4 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 January, 2015

ALL DESPAIR DAY!

Those who have the understanding seem to be in despair and question to me that what is happening to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In other words, whatever constitutional rights had been gained, are getting evaporated. New economic policies of the Government did open up new job avenues in all spheres of life but our participation in that is almost negligible. Some people have become more restive ever since our 8th December, 2014 Mass Rally took place, they think that why none of the demands have been meted out by the Government. In fact the Dalit-Adivasi Samaj depends more on Government schemes and the reasons for this is that for centuries they were not only kept without means but without dignity and self-respect. These rejected and dejected people are now left with no other option but to fight united for restoration of their rights and privileges and the honour they deserve. Ever since Dr. Udit Raj has reached Parliament, people meet him with confidence and tell him that his presence will secure the rights of the Samaj. Dr. Udit Raj replies that it is not he alone who can stop anti-Dalit activities. Every Member of Parliament has his limitations of his own and people should not expect too much of him. Given the limitation, Dr. Udit Raj did not miss the opportunity to raise the issues in Parliament. He raised his voice in Parliament four times during the last session. Some people did engage in leg pulling while the Confederation of SC/ST Organizations was organizing 8th December 2015 Mass Rally at Ramlila Maidan in Delhi that as to how a ruling party Member of Parliament is doing like this? This criticism came not from others but from some Dalit stooges. Such sycophants even campaigned that Dr. Udit Raj was not made a Minister because he never misses an opportunity to champion the cause of weaker section.

People who think about society ask as to why Dalit leaders are silent? It is not easy to answer this question but it is pertinent to tell here that Dr. Udit Raj is doing what he should do and he is ready to outreach to any issue. Dalits are on the verge of total exclusion from the mainstream of society and the future is even worse. We are also equally responsible for our degradation. The easy way to gain personal interest served the Dalit leaders resort to sub-casteism and that has been hampering the unity. United we stand divided we fall. All India Confederation of SC/ST Organizations is the only unified body which has been standing to the onslaughts from time to time and has proved in delivering the results. Our aim has always been to unite the society. Dr. Udit Raj is perhaps the only leader in the county who has never used divisive politics of sub-casteism. If you wish to know the difference between words and deeds of any leader, one should know the proportionate representation of different castes in his company and organization. Ms. Mayawati could not sustain herself without relying on sub-castes and same theory is true for Ram Vilas Paswan and others. Dr. Udit Raj is leading the largest organization, i.e. All India Confederation of SC/ST Organizations. A challenge is being thrown to prove him that he ever believed in petty gains by dividing the Dalits. Anyone can inspect names of workers and leaders of Confederation, he will not find even one per cent activists from his sub caste which he belongs. It was not within his capacity to be born in any particular society. This is called Ambedkarism where only humanity is the only consideration. There are so many causes for the plight of Dalits, and one of them is infighting. We have no control over external reasons for our exploitation but certainly can rectify on the home front. To come out of despair, we must unite. At present there is no political force strong enough to prevent these onslaughts except to rally behind Confederation. If Confederation is strong, Dr. Udit Raj will get the strength to not only fight in the Parliament but also outside. SC/ST employees are about 25 lakh in the country, certainly they are much bigger than nearly total strength of about one thousand MLAs and MPs. So there is no escape for employees to shirk their responsibility.

+++

OUR RIGHTS AND RESPONSIBILIES

Dr. Udit Raj

It is the responsibility of the Government to ensure basic amenities and security to its citizens. Increasing awareness in a democratic set up increases the level of expectations of the people. It is not wrong to expect as per your needs but one must be ready to care about one's duties also. To gain political mileage we generate expectations in people but hardly have we told them of their duties. Under these circumstances neither the Government nor their representatives can work with impartiality or far-sightedness. Even policies are made in a manner that they look loftier notwithstanding the fact whether they bring general good to the people or not in the long run. It is a good trend in society that conscious citizens keep pressure on people's representatives but the balance shakes where people are held less accountable but they expect more benefits and rights. Under these circumstances even good works do not bring satisfaction to the people. It has become our habit to hunt for shortcomings despite the fact that Government may be doing all-round development for the people. We should change this way of thinking lest we should repent later.

Every citizen should do one's duty sincerely. The Government has started Swachh Bharat Abhiyan which was initiated by the Hon'ble Prime Minister. Uncleanliness not only affects our health adversely but also investment, tourism and other spheres also. Now we cannot say 'since the campaign was not started from the top it did not reach the lower levels'. Undoubtedly, crores of people got influenced by the Swachh Abhiyan but adoption and initiation by the ordinary citizens still remains to be fulfilled. When I tried to know the status of cleanliness in Ward No. 52 on one fine morning I got depressed. Former MLAs and MCs were also there with me along with concerned Safai Inspector of Municipal Corporation. When I asked them the number of Safai Karamcharis and their names, addresses and contact numbers, I was told the information was not available at that time. Although I got the information subsequently, I thought of collecting the same for all the forty wards of my North-West Parliamentary Constituency. I wrote a letter to the North Delhi Municipal Corporation Commissioner but the necessary information did not come quickly. After much cudgels it did come but half-baked. We did see good results in Ward No. 52, so far Safai was concerned. Some residents did praise our efforts but no one asked about specific information on the Ward so that they may physically check if the Safai Karamcharis shown on the Mustrol are actually on the roads or not. This fraud is rampant in the Corporation for the last many decades but no one cared to check it. I realized only the Government would not be able to check it until and unless the end-users of those facilities become aware of their duties. Is it not the responsibility of the people that they should come forward on their own to check this menace and see for themselves how many Safai Karamcharis and Inspectors remain absent from their duties. This is not a gigantic task but it is a matter of realizing one's duties and responsibilities and responsibilities are meant to be fulfilled. It has become a common notion amongst the people that for every deficiency it is the Government to be blamed. But it is the need of the hour to change this mind set-up that after all What is the Government and Who is the Government? Ministers, the people's representatives say that Government is doing its job. If we try to find out who is the Government we would find out it is the people who are the real Government. The things would not improve till every citizen of the country does ones duties.

(Contd.. on pate 7)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

Computer typesetting by C. L. Maurya